2018/0009

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
वादपत्र 183 दावा	03/2018 03/18	8-1-2018 निर्णय	S.V. के पक्ष में	26/9/24 30/10/24 19/11/24 19/12/24 16/1/25 18/2/25 5/3/25 24/3/25

फैसला 3/4/25

अनवान

श्री देवीलाल ... भँवरलाल धाकड़ श्री V/S सरकार

निवासी गिरधरपुर निवासी ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोन्डेन्ट

डिक्रीदार मदयून

श्री गिरधारीलाल आचार्य श्री TDR

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

देवीलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा धारा 183 प्रकरण संख्या 03/18

GCMS नम्बर:– 2018/00091

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया है खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 03/2018 दायर तारीख 08.01.2018

उनवान

1. देवीलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 66 साल व्यवसाय खेती निवासी गिरधरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कजोड़ पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 64 साल व्यवसाय खेती निवासी गिरधरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0) ....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा।
2. पंचायत समिति बिजौलियां जरिये विकास अधिकारी महोदय बिजौलियां।
3. पंचायत समिति बिजौलियां जरिये कनिष्ठ अभियन्ता जल स्वावलम्बन परियोजना कार्यालय पंचायत समिति बिजौलियां।
4. पंचायत चांद जी की खेड़ी मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत चांद जी की खेड़ी।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03/04/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1–3 दी0प्र0स0 में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण मौजा पंचानपुरा प0ह0 चांद जी की खेड़ी तह0 बिजौलियां स्थित आ0न0 777/601 रकबा 10 बिस्वां, आ0न0 778/601 रकबा 9 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वां के अभिलिखित खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा पोषित राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी में वादीगण बहेसियत खातेदार के दर्ज अभिलेख हैं। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि वादीगण की पुश्तेनी जायदाद है जिसको वादीगण द्वारा कब्जे में रखा जाकर काश्त की जाती रही है। वादीगण द्वारा न तो भूमि को समर्पित कर अपने खातेदारी अधिकार समाप्त करवाये गये है न ही अन्य को किसी लिखित अथवा मौखिक सहमति द्वारा कब्जे में दी गयी है न ही कृषि उपयोग के अतिरिक्त अपनी खातेदारी भूमि का अन्यथा उपयोग करने की छूट दी गयी है न ही नाडी निर्माण के बाबत वादीगण से प्रतिवादीगण द्वारा नाडी हेतु सहमति ली गयी हैं। वादीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि आज भी राजस्व अभिलेखो में वादीगण की खातेदारी में दर्ज अभिलेख है किसी भी प्रकार की कार्यवाही से न तो भूमि अवाप्त की जाकर वादीगण की खातेदारी समाप्त की गयी है। वादीगण की खातेदारी भूमि में न तो वादीगण के अतिरिक्त कृषि भूमि में प्रवेश करने का अधिकार है न ही किसी वादीगण को भूमि पर से हटाने व काश्त करने से वंचित करने का अधिकार हैं। दिनांक 10 अप्रेल 2016 के पास जब पूर्व फसल की कटाई के पश्चात् वादीगण की खातेदारी भूमि खाली पडी थी उस पर प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय में बेठने वाले कनिष्ठ अभियन्ता ने वादीगण की खातेदारी भूमि की मिट्टी को अपनी निगरानी में हटाना शूरू कर दिया। वादीगण को जानकारी होन पर वादीगण ने कनिष्ठ अभियन्ता जो मौके पर मिटटी हटाने का कार्य करवा रहा था। उसको खेत की मिटटी हटाने से रोका तो उसने मिटटी हटाने का कार्य बन्द करने से मना कर दिया। वादीगण द्वारा यह जानकारी लेने पर कि किस आदेश के तहत उसके द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रवेश कर मिटटी हटा खातेदारी भूमि के मूल स्वरूप को नष्ट कर अकृषि योग्य बनाया जा रहा हे तो उसके द्वारा जानकारी दी गयी जल स्वावलम्बन योजना के तहत नाडी निर्माण किया जा रहा है जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार व पंचायत चादजी की खेड़ी द्वारा बतायी गयी भूमि पर करवाया जा रहा हैं। यह सरकारी योजना है इसलिये काम बन्द नही किया जायेगा। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवा ले। यदि उनकी खातेदारी भूमि पर नाडी निर्माण हो रहा है तो वादीगण कानूनी कार्यवाही करवा ले यदि अभी वादीगण काम बन्द करवायेगे तो राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वह मुकदमा दर्ज करवायेगा। वादीगण के आवेदन पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 06.06.2017 को पत्थरगढी की तो खसरा संख्या 778/601 रकबा 9 बीघा में से 7 बीघा भूमि पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत नाडी निर्माण होना पाया गया। कृषि भूमि की खुदाई से जो मिटटी प्राप्त हुयी उससे नाडी पाल का निर्माण करवा दिया गया।

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम पंचानपुरा प0ह0 चांद जी की खेडी स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि आ0न0 777/601 रकबा 10 बिस्वां, आ0न0 778/601 रकबा 9 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वां में से आ0न0 778/601 रकबा 9 बीघा में से 7 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 5 तक से कब्जा दिलाया जावें। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 5 तक को इस आदेशात्मक आज्ञा की डिक्री से पावन्द किया जाये कि वह नाडी निर्माण से पूर्व की स्थिति को वादीगण की खातेदारी भूमि बावत कायम करे मोके से नाडी की पाल को हटावे। कब्जा हटाने से लगातार कब्जा प्राप्त कर वादीगण का प्रतिवादीगण को फसल व मिटटी के नुकसान का मुआवजा दिलाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र तामिल करवायी गयी।

दिनांक 11.04.2019 को प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार, तहसील बिजौलियां ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि वाद की बिन्दू संख्या 01 स्वीकार हैं।, वाद की बिन्दू संख्या 02 वादी साबित करें, वाद की बिन्दू संख्या 03 वादी राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज रेकॉर्ड हैं, वाद की बिन्दू संख्या 05 पत्थरगढी की रिपोर्ट से जाहिर हैं कि आराजी नं. 778/601 में 7 बीघा भूमि पर मौके पर नाडी बनी हुई हैं, वाद की बिन्दू संख्या 06 पत्थरगढी रिपोर्ट अनुसार मौके पर नाडी बनी हुई हैं, वाद की बिन्दू संख्या 09 व 10 न्यायिक होना बताया हैं।

अन्य प्रतिवादीगण को वार बार आवाज दिलायी गयी। दिनांक 05.10.2023 को जवाब हेतु विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम विकास अधिकारी को जवाब हेतु लिखा गया जिसकी रसीद संलग्न हैं।

वकील वादी ने नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 पेश की है जो प्रदर्श–1 हैं, नक्शा लट्ठा पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं, पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 06.06.2017 की फोटोप्रति पेश की जो प्रदर्श– 3 हैं, अधिवक्ता गिरधारीलाल आचार्य का पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श–4 हैं, पंचायत समिति बिजौलियां जरिये कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति बिजौलियां के तामील की प्रति पेश की जो प्रदर्श–5 हैं, पंचायत समिति बिजौलियां जरिये विकास अधिकारी महोदय बिजौलियां के तामील की प्रति पेश की जो प्रदर्श–6 हैं, पंचायत चांद जी की खेड़ी मार्फत सचिव ग्राम पंचायत चांद जी की खेड़ी जो प्रदर्श–7 हैं, पंचायत चांद जी की खेड़ी मार्फत संरपंच ग्राम पंचायत चांद जी की खेड़ी जो प्रदर्श–8 हैं, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा, विकास अधिकारी बिजौलियां, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति बिजौलियां, संरपंच ग्राम पंचायत चांद जी की खेड़ी, सचिव ग्राम पंचायत चांद जी की खेड़ी को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित पत्र की रसीद जो क्रमशः प्रदर्श–9 से प्रदर्श–13 संलग्न हैं।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी में स्वयं पी. डब्ल्यू – 1 कजोड़ पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी गिरधरपुरा, पी. डब्ल्यू – 2 रामस्वरूप पिता कजोड़ धाकड़ निवासी गिरधरपुरा, पी. डब्ल्यू – 3 गोपाल पिता जोधा धाकड़ निवासी चान्दजी की खेड़ी, पी. डब्ल्यू – 4 बालू पिता मन्ना धाकड़ निवासी गिरधरपुरा के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं। वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

पी. डब्ल्यू – 1 कजोड़ पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी गिरधरपुरा ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे और मेरे भाई के खाते की जमीन मौजा पचानपुरा में स्थित होकर करीब साढ़े 9 बीघा जमीन हैं मेरे खाते की जमीन में नाड़ी खोदी जा रही हैं पंचायत समिति और पंचायत वाले नाड़ी खुदवा रहे थे। 2–3 साल पहले खुदवा रहे थे। हमने नाड़ी का काम बन्द करवाने की कोशिश की तो हमको मौके पर डरा के भगाा दिया और कहा की सरकारी काम है बन्द नहीं होगा हमने उनको कहा की हमारे खाते की जमीन है तो भी नही माने नाड़ी खोद के ऊपर डोल लगा दिया और पाल बनवा दी नाड़ी खोदने से हम काश्त नही कर पा रहे हैं। मैंने अपने खाते की नकल, नक्शा ट्रेस, पत्थरगढी मौका पर्चा, पंचायत समिति को प्रेषित नोटिस की प्रति संलग्न हैं। नाड़ी खोदने वाले मौके से चले गये उन्होंने कब्जा नही छोड़ा। हम जमीन पर कब्जा वापस चाहते हैं। प्रतिवादीगण नाड़ी को भराकर जमीन को काश्त योग्य बनाकर कब्जा हमें देवे और 3 साल तक काश्त नहीं करने से नुकसान हुआ हैं जिसकी भरपाई करावें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

पी. डब्ल्यू – 2, 3, 4 ने मौजा पचानपुरा स्थित करीब साढ़े 9 बीघा जमीन वादीगण की होना बताया हैं जिस पर जल स्वावलम्बन वालों ने पंचायत समिति और पंचायत वालो द्वारा नाडी खोदना बताया हैं। जिससे वादीगण को नुकसान होना बताया हैं।

प्रकरण में प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया हैं। जमीन पर वादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की फोटो प्रति व भूमि वादी के स्वामित्व की होने के सम्बन्ध में जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2072–2075 से मौजा ग्राम पंचानपुरा प0ह0 चांद जी की खेड़ी स्थित आ0न0 777/601 रकबा 10 बिस्वां, आ0न0 778/601 रकबा 9 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वां का वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। एवं पत्थरगढी के मौके पर्चे की नकल अनुसार वादीगण की मौजा ग्राम पंचानपुरा प0ह0 चांद जी की खेड़ी स्थित आ0न0 778/601 रकबा 9 बीघा में से 7 बीघा भूमि पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत नाडी बना दी गयी हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा करने से उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादीगण को पुनः कब्जा सुपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाही हैं। जो उचित होकर प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य हैं।

–: आदेश :–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम पंचानपुरा प0ह0 चांद जी की खेड़ी स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि आ0न0 777/601 रकबा 10 बिस्वां, आ0न0 778/601 रकबा 9 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वां में से आ0न0 778/601 रकबा 9 बीघा में से 7 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 03/04/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा